:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :—राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 49/2024 दायर दिनांक 28.06.2024

1. कीशु पुत्र धनजी जाति भील निवासी थाम का तालाव तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान् लेण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र बाबत् इन्द्राज दूरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी।

2 पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 14/08/2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव उपला थाम का तालाब के जमाबन्दी खाता संख्या 8 के खसरा संख्या 196/2, 196/5, 197/2, 199, 202/2, 203/2, कुल खसरा किता 6 का कुल रकबा 0.4128 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा, एवं मौजा थाम का तालाब के खाता संख्या 15 के खसरा सख्या 1233/3, 1244/3, 561/2, 562, 565/2, 576/3, 581/3, 583, 584/3, 599/2, 694, 695, 696/2, 763/2, 940/3 कुल खसरा किता 16 का कुल रकबा 0.9877 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। कि बिन्दू संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का दर्ज नाम केशु है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज में उसका नाम किशु पुत्र धनजी है। ऐसे में प्रार्थी का सही नाम किशु पुत्र धनजी दर्ज किया जाना आवश्यक है। कि प्रार्थी का सही नाम जमाबन्दी में नही होने से प्रार्थी को सरकार से मिलने वाले लाभ जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी आदि के लाभ से प्रार्थी वंचित हो जाता है। विन्दू संख्या 1 में वर्णित भूमि प्रार्थी की ही है, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं है। केशु एवं किशु दोनो नाम प्रार्थी के ही है। उक्त भूमि प्रार्थी से संबंधित ही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ऐसे में प्रार्थी का सही एवं दस्तावेजी नाम जमावन्दी में दर्ज किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी को तलब किया गया, विपक्षी द्वारा जवाव दिया गया कि प्रार्थी साबित करे कि प्रार्थी का सही नाम किशु है तथा वादग्रस्त आराजी उससे संबंधित है, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के समर्थन में अपनी माता एवं बहिन अमृत के बयान दर्ज करवाए।

प्रार्थी अपना प्रार्थनापत्र साबित करने में सफल रहा है। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

::आदेश::

गॉव उपला थाम का तालाब के जमाबन्दी खाता सख्या 8 के खसरा सख्या 196/2, 196/5, 197/2, 199, 202/2, 203/2 कुल खसरा किता 6 का कुल रकबा 0.4128 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा एवं मौजा थाम का तालाब के खाता संख्या 15 के खसरा संख्या 1233/3, 1244/3, 561/2, 562, 565/2, 576/3, 581/3, 583, 584/3, 599/2, 694, 695, 696/2, 763/2, 940/3 कुल खसरा किता 16 का कुल रकबा 0.9877 हैक्टेयर में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी खातों में प्रार्थी का दर्ज नाम केशु के स्थान पर किशु दर्ज किए जाने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब न्यायालय में पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होवे। दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 14/08/2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner